

सेवामें

श्रीमान् तहसीलदार साहब
दूनी।

प्रशासन गांवों के संग कैम्प 2021
क्र. दि.

2021
1122

विषय:-ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी के खाता सं० 165 में नाम/पिता का नाम/जमिंदार दुरुस्त कराने
बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट 1956 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 165 में मेरा नाम/पिता का नाम/जमिंदार गलत रूप से काना पुत्र किशना दर्ज है। मेरा सही नाम/पिता का नाम/जाति स्वानाराम पुत्र किशनलाल है।
अतः सही नाम/पिता का नाम/जमिंदार दुरुस्त कराने की कृपा करावें।

प्रार्थी काना राम

रिपोर्ट पटवारी

महोदय

निवेदन है कि ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता सं० 165 पर प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जमिंदार काना पुत्र किशना दर्ज है। प्रार्थी ने शम्भू पत्र एवं संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम/पिता का नाम/जमिंदार स्वानाराम पुत्र किशनलाल करवाने का निवेदन किया है। हितबद्धधारी(प्रार्थी) की स्वीकारोक्ति एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जमिंदार स्वानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज किया जाना सही प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का नाम/पिता का नाम/जमिंदार स्वानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज किये जाने की अभिशंखा की जाती है।

विश्व
हस्ताक्षर पटवारी
प. इ. सरदारपुरा

विश्व
हस्ताक्षर भू०अ०नि०

कार्यालय तहसीलदार दूनी कैम्प सरदारपुरा

क्रमांक 13

दिनांक 14/10/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का सीतापुरा भू०अ०नि० वृत्त शांता एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शम्भू पत्र एवं संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम सरदारपुरा की जमाबंदी संवत् 2077 के खाता संख्या 165 में प्रार्थी नाम/पिता का नाम/जमिंदार सही रूप से स्वानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज किये जाने की अभिशंखा के साथ प्रकरण मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली की सेवामें सादर प्रेषित है।

विश्व
तहसीलदार (भू०अ०नि०)
दूनी जिल्हा-टोंक

क्रमांक 464
2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली
कैम्प/21

दिनांक:- 14/10/21

तहसीलदार दूनी की अभिशंखानुसार ग्राम सरदारपुरा में 2077 के खाते के खाता सं 165 पर काना पुत्र किशना के स्थान पर स्वानाराम पुत्र किशनलाल दर्ज शम्भू पत्र टिकाई करने हेतु अर्जन किया जाना है

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)